मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक :एफ 8-4/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 14 मई, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त, कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषयः — मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 प्रभावशील होने के पश्चात राज्य शासन के उपक्रमों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्त ऐसे शासकीय सेवकों, जिन्हें शासन के विशेष आदेश द्वारा उनके मूल पद के वेतनमान से उच्च पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, के वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश।

-----0-----

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ-11/19/2002/नि/चार, दिनांक 27-11-2002 द्वारा विभिन्न उपक्रमों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्त शासकीय सेवकों को उनके संवर्ग के मूल पद का ही वेतन प्राप्त होने संबंधी आदेश प्रसारित किये गये हैं । कतिपय उपक्रमों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासन के विशेष आदेश द्वारा उन उपक्रमों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शासकीय सेवकों को उनके संवर्ग के मूल पद के वेतनमान से उच्च पद का वेतनमान दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 प्रभावशील होने के पश्चात इन शासकीय सेवकों का वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाए, यह प्रश्न शासन के समक्ष उपस्थित हुआ है ।

2/

2/ मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत वेतनमानों को समूहीकृत किया जाकर वेतन बैण्ड की संरचना की गयी है, जिससे एक ही पे-बैण्ड में दो या अधिक वेतनमान समाहित हो गए हैं। इसके फलस्वरूप जहॉ कई प्रकरणों में प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के मूल पद का वेतनमान एवं शासन के विशेष आदेश द्वारा उसे प्राप्त होने वाला उच्च पद का वेतनमान पृथक-पृथक पे-बैण्ड में सम्मिलित हो रहे हैं, वहीं अनेक प्रकरणों में प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के मूल पद का वेतनमान एवं शासन के विशेष आदेश द्वारा उसे प्राप्त होने वाला उच्च पद का वेतनमान एक ही पे-बैण्ड में शामिल हो गये होने की स्थिति भी निर्मित हो रही है, जिससे ऐसे प्रतिनियुक्त शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण में एकरूपता नहीं रह गयी है । इस स्थिति से निपटने के लिए प्रतिनियुक्ति पर शासन के विशेष आदेश द्वारा मूल पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान पा रहे शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण हेतु वर्तमान में अपनायी जा रही प्रक्रिया में बदलाव लाना जरूरी हो गया है।

3/ इस बिंदु पर शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि चूँकि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में निम्न एवं उच्च पदों में विभेद हेतु ग्रेड-पे को ही आधार माना गया है, अतः राज्य शासन के उपक्रमों/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्त ऐसे शासकीय सेवकों, जिन्हें शासन के विशेष आदेश द्वारा उनके मूल पद के वेतनमान से उच्च पद का वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के तहत वेतन निर्धारण उनके मूल पद के पे-बैण्ड में किया जाकर उन्हें जिस उच्च पद के वेतनमान दिए जाने हेतु शासन के विशेष आदेश द्वारा स्वीकृति दी गयी है, का केवल ग्रेड-पे ही दिया जाये ।

4/ उपरोक्तानुसार उच्च ग्रेड-पे पाने की पात्रता केवल उन शासकीय सेवकों को होगी, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर शासन के विशेष आदेश से उनके मूल पद के वेतनमान से उच्च पद का वेतनमान दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5/ ये निर्देश दिनांक 1-1-2006 से प्रभावशील माने जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग